शिकायत के आवेदन का एक उदाहरण

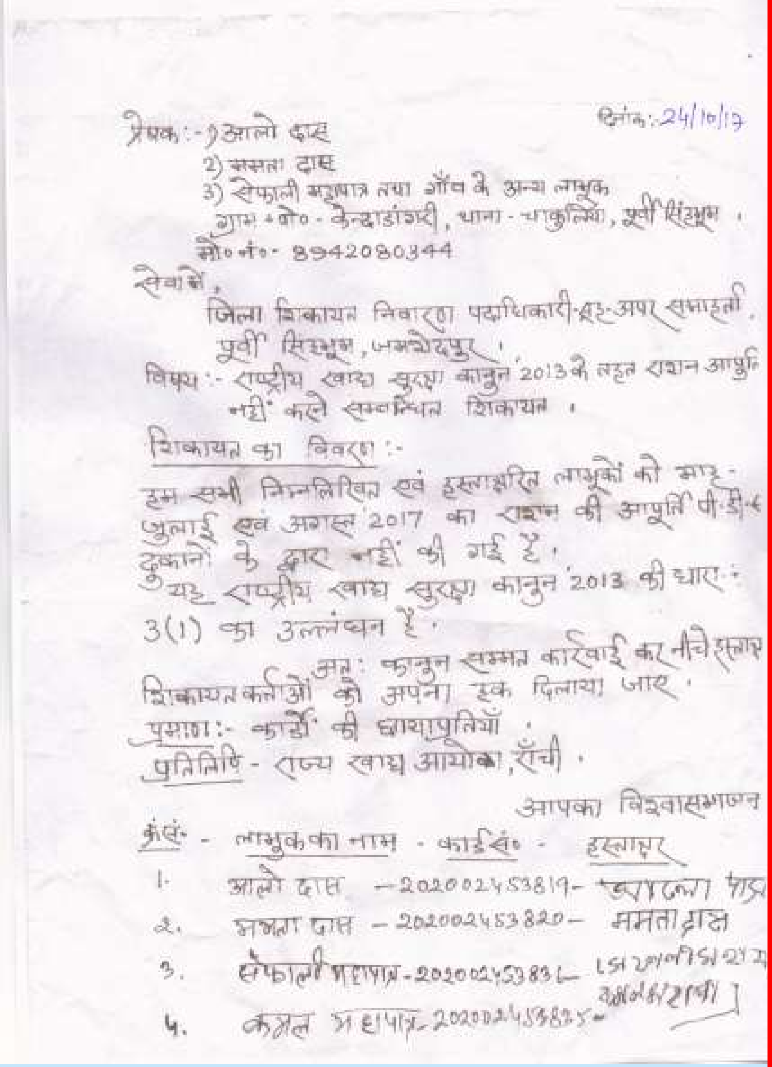

प्रेषक :- 1) आलो दास
2) ममता दास
3) सेफाली महापात्र तथा गाँव के अन्य लाभुक
ग्राम + पो० - केन्दाडांगरी, थाना - चाकुलिया, पूर्वी सिंहभूम।
मो० नं० - 8942080344

दिनांक : 24/10/17

सेवा में,
जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी-सह-अपर समाहर्ता,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

विषय :- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 के तहत राशन आपूर्ति नहीं करने सम्बन्धित शिकायत।

शिकायत का विवरण :-
हम सभी निम्नलिखित एवं हस्ताक्षरित लाभुकों को माह - जुलाई एवं अगस्त 2017 का राशन की आपूर्ति पी.डी.एस. दुकानों के द्वारा नहीं की गई है। यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 की धारा - 3(1) का उल्लंघन है।
अतः कानून सम्मत कारवाई कर नीचे हस्ताक्षर शिकायतकर्ताओं को अपना हक दिलाया जाए।

प्रमाण :- कार्डों की छायाप्रतियाँ।
प्रतिलिपि - राज्य खाद्य आयोग, राँची।

आपका विश्वासभाजन

क्रं सं०	लाभुक का नाम	कार्ड सं०	हस्ताक्षर
1.	आलो दास	202002453819	[illegible]
2.	ममता दास	202002453820	ममता दास
3.	सेफाली महापात्र	202002453831	[illegible]
4.	कमल महापात्र	202002453835	[illegible]

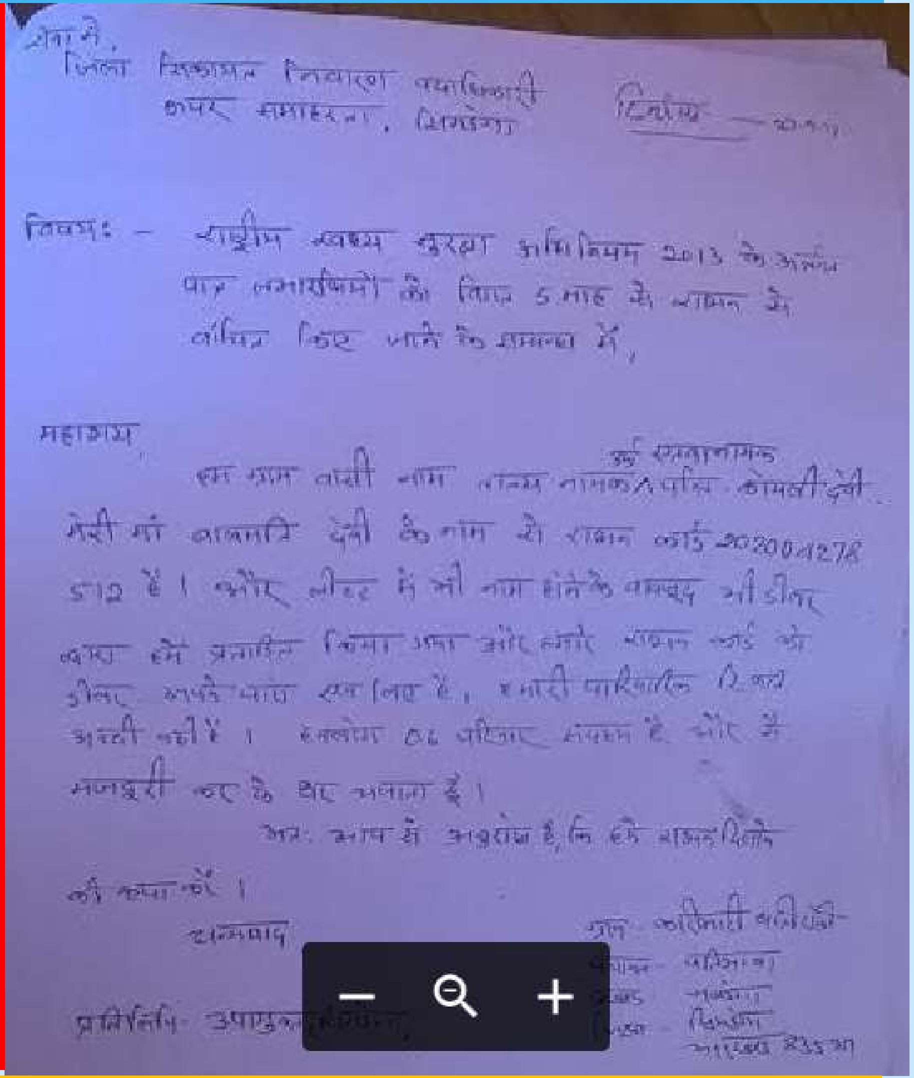

सेवा में,
जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी
अपर समाहर्ता, सिमडेगा

दिनांक — [illegible]

विषय :- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को विगत 5 माह से राशन से वंचित किए जाने के संबंध में,

महाशय,
हम ग्राम [illegible] नाम [illegible] ... मेरी माँ [illegible] देवी के नाम से राशन कार्ड 202004278[illegible] है। [illegible] ... अतः आप से अनुरोध है कि ... की कृपा करें।

धन्यवाद

प्रतिलिपि - उपायुक्त, सिमडेगा

शिकायत पत्र का एक नमूना

प्रेषक : दिनांक – 5 अक्टूबर 2017

श्रीमती कुसुम लता श्रीवास्तव
द्वारा-नीरज कुमार श्रीवास्तव
मकान संख्या 12, नागा बाबा खटाल के पीछे
कांके रोड, रांची – 834008
फोन- 9431352009

प्रेषित:

जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी
रांची समाहरणालय , जिला रांची

विषय : राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 के तहत राशन का अनाज कम मिलने के सम्बन्ध में शिकायत।

महाशय/महाशया,

कृपया मेरी निम्न शिकायत पर आवश्यक कार्रवाई कर मुझे कानून के नियम सम्मत न्याय दिलाने का कृपा करें।

शिकायत का विवरण : पिछले तीन माह से मुझे राशन दुकान से 30 किलो चावल की जगह सिर्फ 26 किलो चावल ही मिलता है जबकि राशन दुकानदार हमसे पूरा 30 किलो चावल का पूरा पैसा लेता है। कार्ड पर पूरा 30 किलो ही लिख देता है। बोलने पर दुकानदार मझे बोलता है कि मुझे राशन लेने के लिए पैसा खर्चा करना पड़ता है तो चावल काटेंगे ही। इतना ही चावल मिलेगा। इससे अधिक नहीं मिलेगा। मेरे परिवार में कुल ६ लोग हैं। मेरे हक़ का पूरा चावल न मिलने पर हमलोगों को बाज़ार से और चावल अधिक दाम पर खरीद कर खाना पड़ता है जिससे परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। दरख्वास्त है कि मुझे मेरा हक़ दिलाने की कृपा करें।

मेरा राशन कार्ड संख्या – ००१३२५४३२१

सम्बंधित राशन दुकान का विवरण-
(नाम /गाँव/पंचायत)

आवेदक का हस्ताक्षर/ अंगूठे का निशान
आवेदक का नाम –कुसुम लता श्रीवास्तव
गाँव/मोहल्ला/टोला
पंचायत थाना
जिला
मोबइल नंबर- 9431352009

संलग्न का विवरण – १. राशन कार्ड का फोटोकॉपी (पिछले तीन माह से कम मिला है लेकिन राशन कार्ड पर जबरजस्ती पूरा राशन लिख देता है) – आपके दावे का कोई भी प्रमाण अवश्य शामिल करें) , २. ....३. ...., ४. ....

प्रतिलिपि – राज्य खाद्य आयोग , ई- 1/8, निबंधन कार्यालय के सामने ,साकेत नगर , हिनू , रांची , पिन - 834002

ई –मेल पता - jharfoodcommission@gmail.com

Prepared by Haldhar Mahto, Member, State Food Commission, Jharkhand

अपील के लिए आवेदन का एक उदाहरण

सभी प्रकार के अपील के लिए आवेदन यहाँ भेजें

राज्य खाद्य आयोग

ई- 1/8

निबंधन कार्यालय के सामने

साकेत नगर, हिनू, राँची, पिन – 834002

ई.मेल-

jharfoodcommission@gmail.com

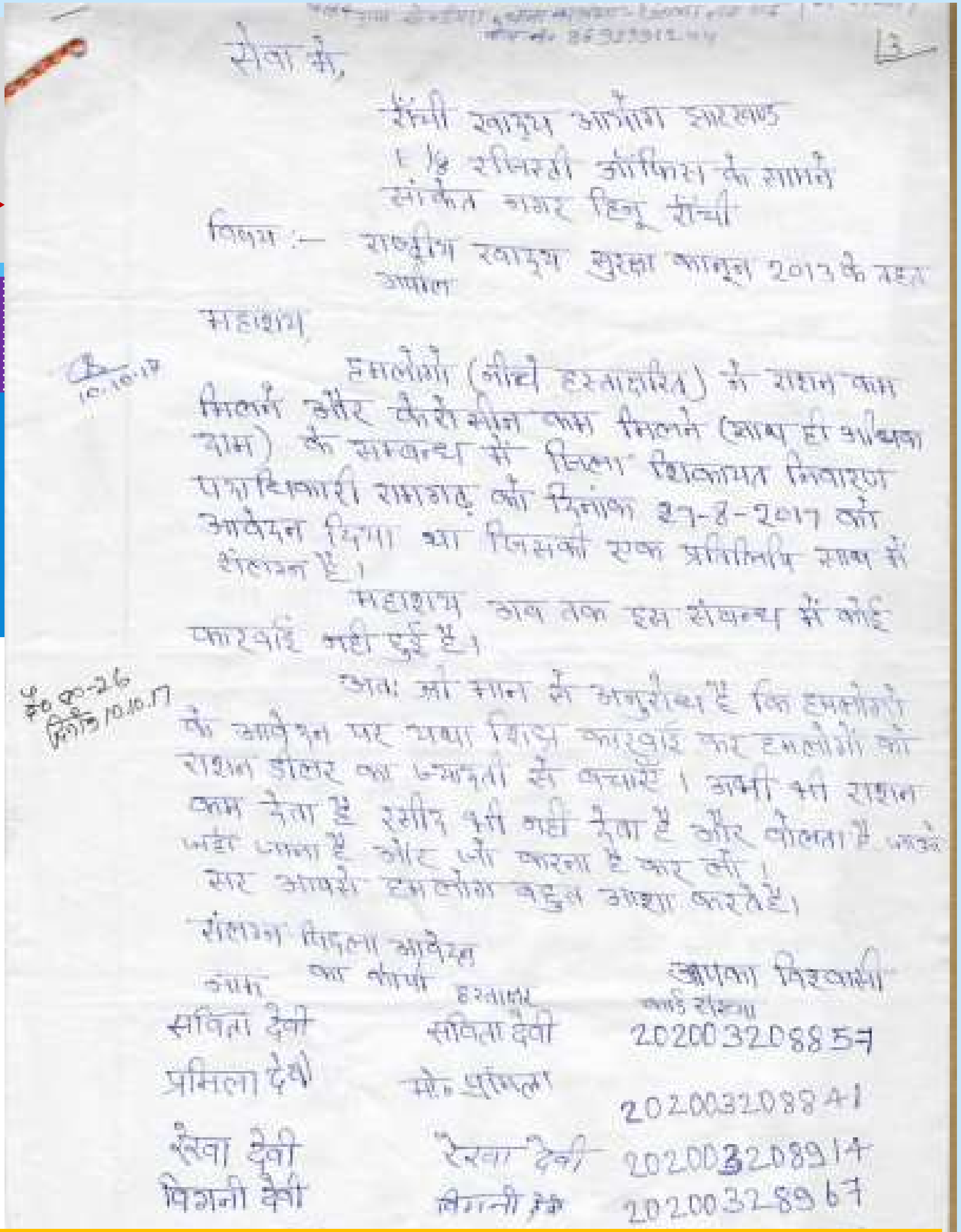

सेवा में,

राँची खाद्य आयोग झारखण्ड
1/8 रजिस्ट्री ऑफिस के सामने
साकेत नगर हिनू राँची

विषय :— राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 के तहत अपील

महाशय,

हमलोगों (नीचे हस्ताक्षरित) को राशन कम मिलने और केरोसीन कम मिलने (आधा ही अधिक दाम) के सम्बन्ध में जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी रामगढ़ को दिनांक 27-8-2017 को आवेदन दिया था जिसकी एक प्रतिलिपि साथ में संलग्न है।

महाशय अब तक इस संबन्ध में कोई कारवाई नहीं हुई है।

अतः श्री मान से अनुरोध है कि हमलोगों के आवेदन पर यथा शीघ्र कारवाई कर हमलोगों को राशन डीलर का मनमानी से बचाएँ। अभी भी राशन कम देता है रसीद भी नहीं देता है और बोलता है जहाँ जाना है और जो करना है कर लो। सर आपसे हमलोग बहुत आशा करते हैं।

संलग्न जिला आवेदन का कॉपी

नाम	हस्ताक्षर	आपका विश्वासी कार्ड संख्या
सविता देवी	सविता देवी	202003208857
प्रमिला देवी	[illegible]	202003208841
रेखा देवी	रेखा देवी	202003208914
बिजनी देवी	बिजनी [illegible]	202003289 67

अपील हेतु आवेदन का नमूना

प्रेषक :
श्रीमती कुसुम लता श्रीवास्तव
द्वारा-नीरज कुमार श्रीवास्तव
मकान संख्या 12, नागा बाबा खटाल के पीछे
कांके रोड, रांची – 834008
फोन- 9431182009

दिनांक – 10 नवम्बर 2017

प्रेषित:
राज्य खाद्य आयोग
ई- 1/8, निबंधन कार्यालय के सामने
साकेत नगर , हिनू , रांची , पिन - 834002

विषय : राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 के तहत अपील ।

महोदया/महोदय,

मैंने दिनांक 5 अक्तूबर 2017 को जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, रांची को मुझे जुलाई, अगस्त और सितम्बर में राशन न मिलने की शिकायत की थी (आवेदन की प्रति पावती और अन्य प्रमाणों के साथ संलग्न है)। इस पर अबतक कोई कारवाई नहीं हुई। अब तो दुकानदार बोलने लगा है कि शिकायत किये, क्या हुआ ? जाओ अब और शिकायत करने। मेरा कुछ नहीं होगा।

महोदय, राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा कानून की धारा ....का ये उल्लंघन है। आपसे निवेदन है कि मुझे कानून सम्मत न्याय दिलाने की कृपा करें। साथ ही अनुरोध है मुझे कानून की धारा ....अंतर्गत मुवावजा भत्ता भी दिलवाया जाए और दोषी अधिकारी के ऊपर कानून कि अवहेलना करने हेतु उनपर भी कानून सम्मत उचित कार्रवाई की जाए।

आवेदक का हस्ताक्षर/ अंगूठे का निशान
आवेदक का नाम -कुसुम लता श्रीवास्तव

गाँव/मोहल्ला/टोला
पंचायत
थाना
जिला
मोबइल नंबर- 9431182009

संलग्न – १. जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी , रांची को जमा शिकायत पत्र की कॉपी (पावती एवं प्रमाण के साथ)